संख्या–वे0आ0–2– 1977 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
संस्कृति विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार में सहायक निदेशक, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, पाण्डुलिपि अधिकारी तथा सहायक निदेशक एवं प्रशासकीय अधिकारी के पदों पर अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) अनुमन्य कराया जाय।

(2) उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार में उपलब्ध उप निदेशक वेतनमान रू0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) अनुमन्य कराया जाय। साथ ही निदेशक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन

संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/ अनुमन्य कराया जाय।

(3) वेतन समिति (1997–99)/मुख्य सचिव समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आलोक में संस्कृति निदेशालय के संयुक्त निदेशक के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 10650–15850 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) का वेतनमान अनुमन्य कराया जाय।

(4) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के सहायक निदेशक (पुरातत्व/प्राणिशास्त्र/सज्जा कला/कलात्मक वस्तुएं/तकनीकी/मुद्राएं) तथा संग्रहालयाध्यक्ष के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/–) अनुमन्य कराया जाय। साथ ही निदेशक श्रेणी–2 के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 8550–14600 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/–) के स्थान पर उच्चीकृत/ संशोधित वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) तथा निदेशक श्रेणी–1 वेतनमान रू0 10650–15850 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600/–) के पद पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 12000–16500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600/–) अनुमन्य कराया जाय। साथ ही निदेशक श्रेणी–2 का पदनाम उप निदेशक तथा निदेशक श्रेणी–1 का पदनाम निदेशक रखा जाय।

(5) संरक्षण सहायक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान रू0 4500–7000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/–) के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान रू0 5000–8000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) अनुमन्य कराया जाय।

(6) पूर्व उप प्रस्तरों के अनुसार सम्बन्धित पदों पर संस्तुत उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जायें।

(7) विभिन्न विभागों में उपलब्ध सामान्य कोटि के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध 26 संवर्गो/पदों के सम्बन्ध में समिति द्वारा अपनी संस्तुतियॉ पत्र संख्या– वे0स0–48/दस–10, दिनांक 22 जनवरी, 2010 तथा नवम् प्रतिवेदन भाग–1/2 में दी जा चुकीं हैं। संस्कृति विभाग के विभिन्न संगठनों में उपलब्ध उक्त श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में यहॉ संस्तुति देने का अवसर नहीं रह गया है।

(8) संस्कृति विभाग के विभिन्न संगठनों में अन्य किसी पद पर कोई विसंगति संज्ञान में नहीं है।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

/

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1977 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।